


बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री गुरुदेव राय, तत्कालीन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गौरौल, वैशाली सम्प्रति सचिवालय मुख्यालय, जिनके विरुद्ध कतिपय आरोपों के लिए ज्ञाप सं० 6165 दिनांक 24.09.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया था, को संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उसकी विभागीय समीक्षा में प्रतिवेदित सात आरोपों में से दो आरोप प्रमाणित एवं एक आरोप अंशतः प्रमाणित पाया गया ।

2. श्री राय को उनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए दण्ड स्वरूप एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने के साथ निलम्बन अवधि में बीतायी गयी अवधि का जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, की सजा संसूचित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त किया जाता है ।

3. श्री राय द्वारा निलम्बन अवधि में बितायी गयी अवधि पेंशन प्रदायी मानी जाएगी ।


(सुरेश ठाकुर)

सरकार के संयुक्त सचिव ।


ज्ञापांक-प्र०८गो०आ०वैशाली-०७/२०१२

२०२५

/खाद्य,पटना/दिनांक

२/५/२०१३

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, वैशाली/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वैशाली/संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी, वैशाली/प्रशाखा पदाधिकारी-०३/श्री अफजल आजमी, आई०टी० मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री गुरुदेव राय, तत्कालीन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गौरौल, वैशाली सम्प्रति सचिवालय मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के संयुक्त सचिव ।